[2019] 7 एस. सी. आर 197

स्टेट ऑफ ओरीसा एंड ए. एन. आर.

वी.

धीरेंद्र सुंदर दास और ओआरएस।

(2019 की सिविल अपील संख्या 4646)

06 मई, 2019

[उदय उमेश ललित और इंदु मल्होत्रा, जे. जे.]

सेवा कानून-नियुक्ति-28.04.08 पर अपीलार्थी-राज्य ने सभी विभागों को पत्र जारी कर इसके लिए सिफारिशें आमंत्रित की हैं।

उड़ीसा प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति

150 रिक्तियों वाले वर्ग-II (ओएएस वर्ग-II) संवर्ग-भर्ती प्रक्रिया 1978 के नियमों के अनुसार की जानी थी।

और 1978 के विनियम-संबंधित विभागीय प्राधिकरण

उत्तरदाताओं सहित 559 उम्मीदवारों के नाम विचार के लिए भेजे गए-राज्य ने भर्ती वर्ष 2008 के लिए ओएएस वर्ग-II पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया को तब तक स्थगित रखने का फैसला किया, जब तक कि वर्षों की भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती-देरी से पीड़ित, उत्तरदाताओं द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष दायर किए गए ओएएस-राज्य ने फरवरी 2009 में उड़ीसा प्रशासनिक सेवा का पुनर्गठन किया-ओएएस वर्ग-II पदों के मौजूदा कैडर को समाप्त कर दिया गया और उड़ीसा राजस्व सेवा समूह 'बी' कैडर के संबंधित कैडर का निर्माण किया गया-भर्ती वर्ष 2001 से 2005-1978 के नियमों के लिए ओएएस वर्ग-II पदों पर राज्य द्वारा नियुक्त उम्मीदवार जिनके तहत 2008 की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी।

निरस्त-न्यायाधिकरण ने राज्य को उड़ीसा राजस्व सेवा संवर्ग में वर्ग-II/समूह 'बी' पदों को भरने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया-प्रत्यर्थियों द्वारा चुनौती-न्यायाधिकरण का निर्णय दरकिनार कर दिया गया -अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः उत्तरदाता ओ. ए. एस. वर्ग-II पदों पर चयन या पदोन्नति के लिए उपार्जित या निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं, केवल उनके नाम भेजे जाने के आधार पर-उनके नामों की सिफारिश केवल उनके संबंधित विभागीय प्राधिकरणों द्वारा की गई थी।

विनियमन 6-भर्ती प्रक्रिया विनियमन 7-10 के अनुसार आगे नहीं बढ़ी-उत्तरदाता नहीं हो सकते

पूर्ववर्ती 1978 विनियमों के तहत नियुक्ति के लिए पात्र माना जाता है, क्योंकि उपरोक्त विनियमों में निर्धारित कदम पुराने 1978 विनियमों के निरसन से पहले पूरे नहीं किए गए थे और

1978 के विनियम-इसके अलावा, उत्तरदाताओं ने चुनौती नहीं दी

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

या तो ओ. ए. एस. वर्ग-II पदों का उन्मूलन, या संबंधित उड़ीसा राजस्व सेवा समूह 'बी' पदों का निर्माण-इसके विपरीत, उनमें से कुछ ने नव निर्मित उड़ीसा राजस्व सेवा समूह 'बी' संवर्ग में भर्ती के लिए डी. पी. सी. की कार्यवाही में भाग लिया-खंड पीठ का निर्णय अलग रखा गया-उड़ीसा प्रशासनिक सेवा, वर्ग-II (भर्ती) नियम, 1978 उड़ीसा प्रशासनिक सेवा, वर्ग-II (नियुक्ति)

अभ्यास और प्रक्रिया-एस. एल. पी. की सीमित बर्खास्तगी-का प्रभाव-आयोजितः एस. एल. पी. को सीमित सीमा में बर्खास्त करने का सीधा सा तात्पर्य है कि अदालत के समक्ष मामले को किसी कारण से जांच के योग्य नहीं माना गया था, जो मामले के गुण-दोष से अलग हो सकता है-जैसे कि बिना कोई विस्तृत कारण बताए सीमा तक बर्खास्तगी, कानून की कोई घोषणा या यू/आर्ट के तहत एक बाध्यकारी पूर्ववर्ती का गठन नहीं करता है। 141 - भारत का संविधान-Art.141।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

राज्य द्वारा दिनांक 28 अप्रैल, 2008 को ओ. ए. एस. वर्ग-II पदों पर चयन और पदोन्नति के लिए मौजूदा नियम और विनियम उड़ीसा प्रशासनिक सेवा, वर्ग-II थे। (भर्ती) नियम, 1978 और उड़ीसा प्रशासनिक सेवा,

वर्ग-II (पदोन्नति और चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1978। ओएएस वर्ग II नियम, 1978 के नियम 6 में प्रावधान किया गया है

राज्य सरकार द्वारा रिक्तियों के निर्धारण के लिए। [पैरा 7.1-7.3] [208-बी-डी]

1.2 ओ. ए. एस. वर्ग II, नियम 1978 के नियम 3 में प्रावधान किया गया है कि

[नियम 3 (ए)]; दूसरा, राजपत्रित अधिकारियों में से पदोन्नति एक निश्चित वर्ग [नियम 3 (बी)] का; और तीसरा, गैर-राजपत्रित राज्य ओरीसा और ए. एन. आर. का चयन।

वी. धीरेंद्र सुंदर दास और

ओआरएस।

अधिकारी [नियम 3 (सी)]। ओ. ए. एस. वर्ग II नियम, 1978 के नियम 8 के अनुसार ऊपर निर्दिष्ट तरीकों से भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों का अनुपात-50 प्रतिशत प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा, 30 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा और 20 प्रतिशत चयन द्वारा था। ओ. ए. एस. वर्ग II विनियम, 1978 के विनियम 6 (i) के अनुसार, चयन या पदोन्नति के माध्यम से कोई भी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जानी थी राज्य कलेक्टरों, विभागों के प्रमुखों और सरकारों के विभागों से सिफारिशें मंगाकर, जिन्हें प्रशासनिक विभाग (यानी राजस्व विभाग) को उपयुक्त माने जाने वाले उम्मीदवारों की सूची भेजने की आवश्यकता थी। सिफारिशों की प्राप्ति पर, प्रशासनिक

विभाग (अर्थात् राजस्व विभाग) को विनियमन 3 के तहत गठित चयन बोर्ड के समक्ष अनुशंसा किए गए उम्मीदवारों की एक सूची सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। [पैरा 7.4-7.6]

[208 - जी; 209-ए-ई]

1.3 विनियमन 7 के तहत, चयन बोर्ड से प्राप्त सिफारिशों पर विचार करने की आवश्यकता थी

प्रशासनिक विभाग, जिन उम्मीदवारों की सिफारिश की गई थी, उनसे संबंधित अभिलेखों की जांच करता है और उनकी एक सूची तैयार करता है -

संशोधन के साथ, अंतिम सूची बनाई जानी थी जिसमें से विनियमन 10 के अनुसार चयन या पदोन्नति के माध्यम से ओएएस वर्ग-II पदों पर नियुक्तियां की जानी थीं। वर्तमान मामले में, चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं सहित 559 उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश केवल उनके संबंधित विभागीय प्राधिकरणों द्वारा विनियमन 6 के तहत की गई थी। द. भर्ती प्रक्रिया विनियम 7,8,9 और 10 के अनुसार आगे नहीं बढ़ी। उड़ीसा लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित उम्मीदवारों की कोई अंतिम सूची प्रस्तुत नहीं की गई थी।

नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार [2019] 7 एस. सी. आर.

2008 की रिक्तियां। पूर्ववर्ती ओ. ए. एस. वर्ग-II नियम, 1978 या ओ. ए. एस. वर्ग-II विनियम, 1978 के तहत भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं थी। [पैरा 7.7-7.9,7.10,7.12 और 7.14] [209-एफ-एच; 210-ए-सी; 211-सी-डी; 212-डी-ई]

संबंधित उड़ीसा राजस्व सेवा समूह 'बी' पद। इसके विपरीत, उनमें से कुछ ने नवनिर्मित उड़ीसा राजस्व सेवा समूह 'बी' संवर्ग में भर्ती के लिए 30.04.2013 पर बुलाई गई डी. पी. सी. की कार्यवाही में भाग लिया। विचार किए जाने के बाद, चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं में से 6 का चयन किया गया, जबकि 1 को प्रतीक्षा सूची में रखा गया। राज्य ने उक्त उत्तरदाताओं को उड़ीसा राजस्व सेवा समूह 'बी' पदों पर नियुक्त किया। हालांकि, नियुक्त किए गए पांच चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं में से केवल दो ही पदों पर शामिल हुए। इसके बाद, डब्ल्यू. पी. के लंबित रहने के दौरान, उड़ीसा राजस्व में काम करने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति पर विचार करने के लिए एक और डी. पी. सी. का गठन किया गया। उड़ीसा प्रशासनिक सेवा समूह ए (कनिष्ठ शाखा) पदों के लिए सेवा समूह 'बी' पद। 1 चुनाव लड़ने वाले प्रतिवादी को ओ. ए. एस. समूह ए (कनिष्ठ शाखा) संवर्ग में पदोन्नत किया गया था। चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाता समाप्त किए गए ओएएस वर्ग II पदों पर किसी भी ग्रहणाधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं, जो पुराने ओएएस वर्ग II नियम, 1978 और ओएएस वर्ग II विनियम, 1978 द्वारा शासित थे। वर्ष 2001 से 2005 के लिए रिक्तियों की तुलना में व्यक्तियों की नियुक्तियाँ थीं -

1.5 एस. एल. पी. की बर्खास्तगी का सीधा सा तात्पर्य है कि इस न्यायालय के समक्ष मामले को इसके योग्य नहीं माना गया था एक कारण के लिए परीक्षा, जो मामले के गुण-दोष से अलग हो सकती है। बिना कोई विस्तृत कारण बताए इस तरह की सीमित बर्खास्तगी, संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत किसी भी कानून की घोषणा या बाध्यकारी मिसाल का गठन नहीं करती है।

डिवीजन बेंच के फैसले को दरकिनार किया जा सकता है क्योंकि चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं के पास OAS वर्ग II पदों पर पदोन्नति का निहित या फलदायी अधिकार नहीं था, जिसमें ORISSA और ANR का राज्य था।

वी. धीरेंद्र सुंदर दास और

ओआरएस।

भर्ती वर्ष 2008 के दौरान उत्पन्न हुआ। प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं को नियुक्त करने के लिए टी डिवीजन बेंच का निर्देश

निरस्त किए गए 1978 के नियमों के अनुसार, समाप्त कैडर में जो रिक्तियां हुई थीं, वे अधिनियम के विपरीत थीं।

और अलग रखे जाने योग्य। [पैरा 7.22 और 8] [217-ए-डी]

भारत संघ और अन्य। वी. कृष्ण कुमार और अन्य। 2019

(1) स्केल 691; दीपक अग्रवाल और एक अन्य बनाम। राज्य

उत्तर प्रदेश और अन्य। (2011) 6 एससीसी 725: [2011] 4

चक्रवर्ती और ओआरएस। (2017) 3 एस. सी. सी. 646; राजस्थान पब्लिक सेवा आयोग v. चनान राम (1998) 4 एस. सी. सी. 202;

भारत और एएनआर। (1989) 1 एससीसी 187: [1989] 3 एससीआर 488 ; पंजाब राज्य बनाम। देविंदर पाल सिंह भुल्लर

(2011) 14 एससीसी 770: [2011] 15 एस. सी. आर. 540-पर निर्भर।

वाई. वी. रंगैया और अन्य। वी. जे. श्रीनिवास राव और अन्य। (1983)

3 एस. सी. सी. 284; मुक्ति रंजन आचार्य और अन्य। वी. की स्थिति

उड़ीसा और ओआरएस। 2012 (II) ओ. एल. आर. 61-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

पै

रा 5.2

2019 (1) स्केल 691

उस पर भरोसा करें

(1983) 3 एससीसी 284

पै

रा 6.4

संदर्भित किया गया है

[2011] 4 एससीआर 149

उस पर भरोसा करें

पै

रा 7.11

(2017) 3 एस. सी. सी. 646

उस पर भरोसा करें

पै

रा 7.11

(1998) 4 एससीसी 202

उस पर भरोसा करें

पै

रा 7.11

पै

रा 7.22

संदर्भित किया गया है

2012 (II) ओएलआर 61

[1989] 3 एससीआर 488

उस पर भरोसा करें

पै

रा 7.22

[2011] 15 एससीआर 540

उस पर भरोसा करें

पै

रा 7.22

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 46

2019 से।

उच्च निगम के 30.04.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2013 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 14831 में कटक में उड़ीसा सरकार द्वारा।

के साथ

सिविल अपील सं। 4647 , 4648 , 4649 , 4650 , 4651 , 4652 2019

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रवि प्रकाश मेहरोत्रा, अंकित अग्रवाल, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सौम्यजीत पानी, बी. एस. त्रिपाठी, विनोद कन्ना बी., शिबाशीष मिश्रा, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था इंदु मल्होत्रा, जे. लीव मंजूर।

1. वर्तमान दीवानी अपील एस. एल. पी. से उत्पन्न होती है। (ग) संख्या। 4976

4980/2019 और एस. एल. पी. (ग) डायरी संख्या। 13938 और 13946/2019।

एस. एल. पी (ग) संख्या। 4976-4980 / 2019 एक प्रभाग द्वारा पारित सामान्य विवादित निर्णय और आदेश दिनांक 30.04.2018 से उत्पन्न होता है।

डब्ल्यू. पी. में उड़ीसा उच्च न्यायालय की पीठ (ग) संख्या। 14831/2013 , 18749 / 2012 , 6720/2013 , 25961/2017 और 9200/2016। एस. एल. पी (ग) डायरी संख्या। 13938 और 13946/2019 उड़ीसा उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा पारित दिनांकित 08.08.2018 और 10.08.2018 के विवादित आदेशों से उत्पन्न होता है जिसके द्वारा W. P. (ग) संख्या। 7383 और 14,665/2018 का निपटारा दिनांक 30.04.2018 के सामान्य विवादित निर्णय और आदेश के संदर्भ में किया गया था।

2. जिस तथ्यात्मक मैट्रिक्स में वर्तमान दीवानी अपीलें विचार के लिए उठती हैं, संक्षेप में कहा गया है, वह इस प्रकार हैः

2.1 . 28.04.2008 पर, अपीलार्थी द्वारा एक पत्र जारी किया गया था-राज्य

उड़ीसा ("राज्य") ने सभी विभागों, विभागों के प्रमुखों और कलेक्टरों से इसके लिए सिफारिशें आमंत्रित की हैं।

उड़ीसा में पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति

प्रशासनिक सेवा वर्ग-II ("ओएएस वर्ग-II") संवर्ग में 150 रिक्तियां हैं। भर्ती प्रक्रिया उड़ीसा प्रशासनिक सेवा, वर्ग II (भर्ती) नियम, 1978 ("ओएएस वर्ग II नियम, 1978") और उड़ीसा प्रशासनिक सेवा, वर्ग II (पदोन्नति और चयन द्वारा नियुक्ति) के अनुसार की जानी थी। विनियम, 1978 ("ओएएस वर्ग II विनियम, 1978")।

2.2 . संबंधित विभागीय अधिकारियों ने अग्रेषित किया

चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं सहित 559 उम्मीदवारों के नाम, जिन्हें पदोन्नत किया जाना है/चुना जाना है ओ. ए. एस. वर्ग-II पद।

2.3 . राज्य ने 07.06.2008 दिनांकित कार्यालय आदेश जारी किया, जिसके लिए

एफ. ओ. आर. आई. एस. ए. और ए. एन. आर. द्वारा पारित दिनांकित 11.04.2007 निर्णय का कार्यान्वयन।

वी. धीरेंद्र सुंदर दास और ओआरएस। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

उड़ीसा प्रशासनिक न्यायाधिकरण, कटक पीठ ("ओ. ए. टी".) द्वारा।

ओ. ए. टी. ने राज्य को अलग से आकलन करने का निर्देश दिया था।

वर्ष 2001 से 2005 के लिए रिक्तियों को वर्षवार, नाम बुलाने की प्रक्रिया का संचालन करें, उसके अनुसार डी. पी. सी. आयोजित करें।

स्थापित प्रक्रिया के साथ, और छह महीने की अवधि के भीतर नियुक्तियाँ करें।

इस पृष्ठभूमि में, राज्य ने भर्ती वर्ष के लिए ओ. ए. एस. वर्ग-II पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी रखने का निर्णय लिया।

2008 के माध्यम से भर्ती की प्रक्रिया तक स्थगित वर्ष 2001-2005 के लिए पदोन्नति/चयन पूरा हो गया था।

न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसार, राज्य ने 2001 से 2005 के लिए सभी विभागों, राज्यों के प्रमुखों से सिफारिशें मांगी हैं। ओ. ए. एस. में भर्ती के लिए विभाग और कलेक्टर

ओ. ए. एस. वर्ग II नियम, 1978 के नियम 3 (सी) के तहत वर्ग II पद।

वर्ष 2007-2008 के लिए भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में देरी से व्यथित, प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं और अन्य समान रूप से स्थित व्यक्तियों द्वारा विभिन्न ओ. ए. दायर किए गए थे, जिन्हें विचार के लिए अनुशंसित किया गया था

ओ. ए. टी. से पहले 2008 के लिए रिक्तियों के खिलाफ ओ. ए. एस. वर्ग-II पदों पर आवेदकों ने डी. पी. सी. बुलाकर भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रार्थना की। ; और घोषणा

राज्य ने फरवरी 2009 में उड़ीसा प्रशासनिक सेवा का पुनर्गठन किया। पुनर्गठित उड़ीसा प्रशासनिक सेवा संवर्ग में विभिन्न श्रेणियां शामिल होंगी। - ओएएस क्लास-I (जूनियर ब्रांच), ओएएस क्लास-I (सीनियर ब्रांच), ओएएस (सुपरटाइम स्केल), ओएएस (सुपरटाइम स्केल में सीनियर ग्रेड), ओएएस (सुपीरियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड) और ओएएस (स्पेशल)

सचिव)।

दिनांक 25.05.2009 के प्रस्ताव द्वारा, उड़ीसा राजस्व सेवा समूह 'बी' संवर्ग का गठन किया गया था।

पूर्ववर्ती न्यायालय की रिपोर्ट

ओ. ए. एस. वर्ग-II पदों का मौजूदा संवर्ग था

निरस्त कर दिया गया। ओ. ए. एस. वर्ग-II का संबंधित संवर्ग उड़ीसा राजस्व सेवा समूह 'बी' संवर्ग था।

राज्य ने दिनांक 07.12.2010 की दो अधिसूचनाओं के माध्यम से नियुक्त किया

भर्ती वर्ष 2001 से 2005 के लिए चयन और पदोन्नति के माध्यम से ओएएस वर्ग-II पदों पर उम्मीदवार। राज्य ने उड़ीसा प्रशासनिक सेवाओं का गठन किया।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत भर्ती की विधि और सेवा की शर्तें) नियम, 2011 ("ओएएस नियम, 2011")। नियम लागू हुए 25.06.2011 .

ओ. ए. एस. नियम, 2011 के नियम 17 ने ओ. ए. एस. वर्ग II नियम, 1978 को निरस्त कर दिया, जिसके तहत 2008 की भर्ती प्रक्रिया थी।

उड़ीसा राजस्व सेवा के सदस्य। इसी तरह, उड़ीसा राजस्व सेवा (भर्ती) नियम, 2011 ("ओ. आर. एस. नियम, 2011") 27 जून, 2011 को उड़ीसा राजस्व में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती के तरीके और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए लागू हुआ।

समूह 'बी' पदों सहित सेवा।

कक्षा-II/समूह को भरने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश ' उड़ीसा राजस्व सेवा संवर्ग में बी 'पद। 50 % रिक्तियों में से कुछ को सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत को श्रेणी-III/समूह C के कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा जल्द से जल्द और अधिमानतः छह महीने के भीतर भरा जाना था। चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं द्वारा दावा की गई राहत

और इसी तरह के अन्य व्यक्तियों को तब तक अनुमति नहीं दी जा सकती जब तक कि उपलब्ध रिक्तियों में से 50 प्रतिशत को नियमों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा पहले नहीं भरा जाता। प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं की सिफारिश केवल एफ. ओ. आर. आई. एस. ए. और ए. एन. आर. द्वारा की गई थी।

वी. धीरेंद्र सुंदर दास और ओआरएस। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

ओ. ए. एस. वर्ग-II (समूह बी) पदों पर पदोन्नति चयन के लिए उनके संबंधित विभागीय प्राधिकरण। कोई चयन बोर्ड/डी. पी. सी. नहीं था। जिसे बुलाया गया था, और न ही कोई चयन सूची/योग्यता सूची तैयार की गई थी। प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाता जो तृतीय श्रेणी के पदों पर बने हुए थे, उन्हें केवल द्वितीय श्रेणी (समूह बी) के पदों पर पदोन्नति के लिए माना जा सकता था, न कि सीधे प्रथम श्रेणी (समूह ए) के पदों पर। लड़ने वाले उत्तरदाताओं के पक्ष में माँग करने का कोई अधिकार अर्जित नहीं हुआ था

ओ. ए. एस. वर्ग-II पदों पर नियुक्ति के लिए चयन बोर्ड/विभाग संवर्धन समिति का गठन। चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाता विचार के पात्र होंगे।

पदोन्नति कोटे में उपलब्ध वर्ग-II/समूह B पदों के लिए, 50 प्रतिशत रिक्तियों को सीधी भर्ती द्वारा भरा गया था।

दिनांकित सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित

14.03.2012 ओ. ए. टी. द्वारा पारित, प्रतिस्पर्धा करने वाले प्रत्यर्थियों ने ओ. ए. टी. द्वारा पारित दिनांकित 14.03.2012 निर्णय को रद्द करने की मांग करते हुए उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष डब्ल्यू. पी. दायर किया। ; ओ. ए. एस. वर्ग-II पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए राज्य को निर्देश जारी करना

प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं के पक्ष में की गई सिफारिशों के आधार पर; और, प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं को ओ. ए. एस. वर्ग-II पदों पर सभी सेवा और पदोन्नति लाभों के साथ उस तारीख से पदोन्नति प्रदान करें जब ऐसे लाभ देय थे।

सामान्य विवादित निर्णय द्वारा खंड पीठ

और चुनाव लड़ने वाले प्रत्यर्थियों द्वारा दायर किए गए डब्ल्यू. पी. का निपटान करने के लिए दिनांक 2 के आदेश और ओ. ए. टी. द्वारा पारित दिनांक 1 के निर्णय को दरकिनार कर दिया गया। राज्य प्राधिकरणों को निर्देश दिया गया कि वे चुनाव लड़ने वाले प्रत्यर्थियों और अन्य योग्य अधिकारियों के मामलों पर विचार करने के लिए डी. पी. सी. की समीक्षा करें और 150 रिक्त ओ. ए. एस. श्रेणी-2 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया को पूरा करें।

2008 3 महीने के भीतर। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ओ. ए. एस. वर्ग-II के 150 रिक्त पद जिनके लिए सिफारिशें की गई हैं। ओ. ए. एस. वर्ग-II पदों के उन्मूलन और उड़ीसा राजस्व सेवा संवर्ग के पुनर्गठन से पहले वर्ष 2008 में ओ. ए. एस. वर्ग-II नियम, 1978 के तहत भरा गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. विवादित निर्णय और दिनांकित आदेश से व्यथित

. 2018 साथ ही दिनांकित आक्षेपित आदेश 08.08.2018 और

. 2018 डिवीजन बेंच द्वारा पारित, राज्य ने वर्तमान दायर किया है

अल लीव पिटिशन।

4. वह मुद्दा जो प्रस्तुत में हमारे विचार के लिए उत्पन्न होता है

अपील यह है कि क्या उड़ीसा उच्च न्यायालय की खंड पीठ

राज्य को समीक्षा डी. पी. सी. बुलाने का निर्देश देने में अप्रमाणित

चुनाव लड़ने वाले प्रत्यर्थियों और अन्य पात्र लोगों के मामले को निपटाना और 150 रिक्त पदों के लिए 2008 के वर्ष के लिए भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश देना।

5. याचिकाकर्ताओं की प्रस्तुतियाँ 5.1 . राज्य की ओर से अधिवक्ता श्री रवि प्रकाश मेहरोत्रा ने कहा कि खंड पीठ ने एक स्पष्ट अपराध किया है।

राज्य को समीक्षा डी. पी. सी. बुलाने का निर्देश देने में त्रुटि।

5.2 . संघ में इस न्यायालय के हाल के फैसले पर भरोसा करना

भारत और ओआरएस। वी. कृष्ण कुमार और Ors.[1], यह प्रस्तुत किया गया था कि चुनाव लड़ने के पक्ष में कोई अधिकार अर्जित नहीं हुआ था

उत्तरदाताओं के खिलाफ चयन/पदोन्नति के लिए विचार करने के लिए केवल संबंधित विभागीय प्राधिकरणों द्वारा उनके नामों की सिफारिश किए जाने के कारण भर्ती वर्ष 2008 में रिक्तियां। अनुशंसित व्यक्तियों की सूची को अनुमोदित सूची नहीं माना जा सकता है।

चयन/पदोन्नति के लिए उम्मीदवारों की संख्या, क्योंकि इसके लिए कोई डी. पी. सी. या चयन समिति नहीं बुलाई गई थी।

5.3 . यह आगे प्रस्तुत किया गया कि चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाता

ओ. ए. एस. वर्ग-II संवर्ग के उन्मूलन और इसके परिणामस्वरूप उड़ीसा राजस्व सेवा समूह 'बी' संवर्ग के निर्माण को चुनौती नहीं दी।

5.4 . चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाता ओ. ए. एस. वर्ग-II संवर्ग पर ग्रहणाधिकार का दावा नहीं कर सके, जिसे 2009 में समाप्त कर दिया गया था और उड़ीसा राजस्व सेवा समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

' बी 'कैडर।

5.5 . चुनाव लड़ने वाले कुछ उत्तरदाताओं ने प्रस्तुत किया था

2013 में बुलाई गई चयन समिति के समक्ष और 2018 में नए ओ. आर. एस. नियम, 2011 के तहत एक अन्य

(1) स्केल 691।

ओरीसा और ए. एन. आर. वी. धीरेंद्र सुंदर दास और ओआरएस। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

उड़ीसा राजस्व सेवा में रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए

इसलिए यह निरस्त नियमों के तहत ओ. ए. एस. वर्ग-II पदों पर नियुक्तियों का दावा करने के लिए खुला नहीं था। कैडर।

प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं का दावा नहीं हो सकता है

वर्ष 2001 से 2005 के लिए उम्मीदवारों के बराबर माना जाता है क्योंकि उनकी नियुक्तियां निरसन से पहले की गई थीं।

ओएएस वर्ग II नियम, 1978 और ओएएस वर्ग II

विनियम, 1978।

राज्य की ओर से आगे यह प्रस्तुत किया गया कि यदि

डिवीजन बेंच के निर्देशों का पालन किया जाना था,

अतिरिक्त पदों को बनाने की आवश्यकता होगी प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं को समायोजित करें जो नहीं थे

संभव है। यह एक गंभीर मिसाल कायम करेगा, क्योंकि वहाँ

559 उम्मीदवार थे जो समान रूप से स्थित थे

प्रतिवाद करने वाले, और द्वारा अनुशंसित किया गया था

2008 में विभिन्न विभाग।

जिम्मेदारियों के दायित्व

वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि ओ. ए. एस. वर्ग-II के 150 रिक्त पद उपलब्ध हैं। 2008. प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाता पात्र थे, और थे

चयन के माध्यम से नियुक्ति के लिए विधिवत अनुशंसित

ओएएस वर्ग II नियम, 1978 और ओएएस के तहत पदोन्नति

द्वितीय श्रेणी विनियम, 1978।

राज्य, एक आदर्श नियोक्ता होने के नाते, ओ. ए. एस. श्रेणी-II पदों के चयन/पदोन्नति के मामले में भेदभाव नहीं कर सकता है।

'चुनें और चुनें' के आधार पर। ओ. ए. एस. वर्ग II नियम, 1978 और ओ. ए. एस.

द्वितीय श्रेणी विनियम, 1978 उस समय लागू थे जब

राज्य ने ओ. ए. एस. वर्ग-II के 150 पदों को भरने का निर्णय लिया

28.04.2008 . रिक्तियों को भरा जाना आवश्यक था

ओ. ए. एस. वर्ग II नियम, 1978 के तहत।

वाय. वी. रंगैया और अन्य मामलों में इस अदालत के फैसले पर वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री अरोड़ा ने रिलायंस को रखा था। वी. जे.

पूर्ववर्ती न्यायालय की रिपोर्ट

श्रीनिवास राव और Ors.²। यह प्रस्तुत किया गया था कि रिक्तियां

जो ओएएस वर्ग II के निरसन से पहले हुआ था

नियम, 1978 और ओएएस वर्ग II विनियम, 1978; और

ओएएस नियम, 2011 और ओआरएस को लागू करना नियम, 2011 पुराने नियमों द्वारा शासित होंगे। ओएएस

वर्ग II नियम, 1978 और ओएएस वर्ग II विनियम, 1978।

समस्या और विश्लेषण

प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाता उपार्जित या उपार्जित राशि का दावा नहीं कर सकते हैं।

ओएएस वर्ग-II में चयन या पदोन्नति के लिए निहित अधिकार

वर्ष 2008 में पद, केवल उनके नामों के आधार पर

चयन और पदोन्नति के लिए क्षेत्र पर कब्जा करने वाले नियम ओ. ए. एस. वर्ग-II पद ओ. ए. एस. वर्ग-II नियम, 1978 थे।

और ओ. ए. एस. वर्ग II विनियम, 1978।

ओ. ए. एस. वर्ग II नियम, 1978 के नियम 6 में प्रावधान किया गया है -

राज्य सरकार द्वारा रिक्तियों का निर्धारण। नियम 6 तैयार संदर्भ के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" 6. रिक्तियों को भरना।

राज्य सरकार तय कर सकती है कि

सेवा में रिक्तियों को भरने की आवश्यकता हो सकती है

किसी विशेष वर्ष में ऊपरः

बशर्ते कि सेवा में कोई भर्ती नहीं होगी

पूर्व परामर्श के बिना किया गया

आयोग "

(जोर दिया गया)

ओ. ए. एस. वर्ग II, नियम 1978 के नियम 3 में प्रावधान किया गया है कि

ओ. ए. एस. वर्ग II पदों पर भर्ती तीन द्वारा की जानी थी। विधियाँ पहले, प्रतिस्पर्धी द्वारा सीधी भर्ती

परीक्षा [नियम 3 (ए)]; दूसरा, दोनों में से पदोन्नति

एक निश्चित वर्ग के राजपत्रित अधिकारी [नियम 3 (बी)]; और तीसरा,

राजपत्रित अधिकारियों का चयन [नियम 3 (सी)]।

सीसी 284।

ओरीसा और ए. एन. आर. वी. धीरेंद्र सुंदर दास और ओआरएस। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

ओ. ए. एस. वर्ग II नियम, 1978 के नियम 8 के अनुसार ऊपर निर्दिष्ट विधियों द्वारा भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों का अनुपात-50 प्रतिशत प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा, 30 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा और 20 प्रतिशत चयन द्वारा था।

इसके अलावा, नियम 8 (5) ने यह भी अनिवार्य किया कि राज्य को उड़ीसा लोक सेवा आयोग से परामर्श करने की आवश्यकता थी

ओ. ए. एस. वर्ग II विनियम, 1978 के विनियम 6 (i) के अनुसार, किसी भी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से राज्य द्वारा कलेक्टरों, प्रमुखों से सिफारिशें मंगाकर चयन या पदोन्नति शुरू की जानी थी।

सरकार के विभाग और विभाग, जिन्हें प्रशासनिक विभाग (यानी राजस्व) को उपयुक्त माने जाने वाले उम्मीदवारों की सूची अग्रेषित करने की आवश्यकता थी।

विनियमन 3 के तहत गठित चयन बोर्ड के समक्ष अनुशंसा किए गए उम्मीदवारों की सूची सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत करना। विनियमन 7 के तहत, चयन बोर्ड से प्राप्त सिफारिशों पर विचार करने की आवश्यकता थी

प्रशासनिक विभाग, जिन उम्मीदवारों की सिफारिश की गई थी, उनसे संबंधित अभिलेखों की जांच करें और तैयार करें

उन उम्मीदवारों की सूची जो चयन बोर्ड की राय में ओएएस वर्ग-II पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त हैं। इसके बाद, विनियम 8 के अनुसार, विनियम 7 के तहत चयन बोर्ड द्वारा तैयार की गई सूची को राज्य सरकार द्वारा उड़ीसा लोक सेवा आयोग को उन सभी उम्मीदवारों के सेवा रिकॉर्ड के साथ भेजा जाना आवश्यक था, जिनके नाम सूची में शामिल हैं।

राज्य [2019] 7 एस. सी. आर. से प्राप्त अन्य दस्तावेजों और अभिलेखों के साथ विनियमन 7 के तहत तैयार सूची पर विचार करने के बाद।

पूर्ववर्ती न्यायालय की रिपोर्ट

सरकार, उड़ीसा लोक सेवा आयोग को उपयुक्त उम्मीदवारों की सूची की सिफारिश करने की आवश्यकता थी नियम 9 के तहत, जैसा भी मामला हो, चयन या पदोन्नति के लिए।

. उड़ीसा लोक सेवा आयोग द्वारा विनियम 9 के तहत अनुशंसित उम्मीदवारों की सूची राज्य सरकार के समक्ष रखी जानी आवश्यक थी। उक्त सूची, संशोधन के साथ किसी भी अनुमोदन के बाद, अंतिम सूची बनाने के लिए थी जिसमें से OAS वर्ग-II पदों पर चयन या पदोन्नति के माध्यम से नियुक्तियां की जानी थीं।

नियम 10.

इस प्रकार, चयन या पदोन्नति के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया, जैसा भी मामला हो, विनियमन 6 के अनुसार शुरू की गई, विनियमन 10 के अनुसार अंतिम सूची बनाने पर समाप्त होगी। पदोन्नति या चयन के माध्यम से नियुक्तियां केवल उन उम्मीदवारों में से की जा सकती हैं जिनके नाम आयोग द्वारा तैयार की गई अंतिम सूची में शामिल हैं और राज्य सरकार के समक्ष रखे गए हैं।

दीपक अग्रवाल एंड अनदर वी. उत्तर प्रदेश राज्य और Ors.[3] इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार योग्य व्यक्तियों के विचार की तारीख को प्राप्त होता है।

उम्मीदवार। 4

निर्णय का प्रासंगिक उद्धरण निकाला जाता है।

तैयार संदर्भ के लिए नीचे दिया गया हैः

" “ 26. यह अब तक कानून का एक तय प्रस्ताव है कि एक उम्मीदवार को मौजूदा नियमों के आलोक में विचार किए जाने का अधिकार है, जिसका अर्थ है कि विचार होने की तारीख को "लागू नियम"। सार्वभौमिक या पूर्ण आवेदन का कोई नियम नहीं है कि रिक्तियों को खाली होने की तारीख पर मौजूद कानून द्वारा हमेशा भरा जाना है। भरने की आवश्यकता

पुराने नियमों के तहत पुरानी रिक्तियों को उम्मीदवार के साथ जोड़ा जाता है जिसने विचार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है

सीसी 725।

भारत और ओ. आर. एस. वी. कृष्ण कुमार और अन्य। , 2019 (1) स्केल 691 (त्रिपुरा और अन्य का पैरा। वी. निखिल रंजन चक्रवर्ती और अन्य। , (2017) 3 एससीसी

8 और 9)।

ओरीसा और ए. एन. आर. वी. धीरेंद्र सुंदर दास और ओआरएस। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

पदोन्नति के लिए। पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार

वाई. वी. रंगैया मामले में [(1983) 3 एस. सी. सी. 284 1983 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 382] किसी भी विशेष समय-सीमा को निर्धारित करता है।

जिसे चयन प्रक्रिया पूरी करनी है। में

वर्तमान मामला, पदोन्नति के लिए विचार किया गया

संशोधन लागू होने के बाद। इसलिए ऐसा नहीं किया जा सकता।

यह स्वीकार किया जाए कि इसका कोई उपार्जित या निहित अधिकार

संशोधन द्वारा अपीलार्थियों को हटा लिया गया है।

(जोर दिया गया)

. वर्तमान मामले में 559 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं।

प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं को केवल द्वारा अनुशंसित किया गया था

विनियमन के तहत उनके संबंधित विभागीय प्राधिकरण

6. भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। विनियम 7,8,9 और 10 के अनुसार। कोई अंतिम सूची नहीं

चयनित उम्मीदवारों को उड़ीसा लोक सेवा द्वारा नियुक्त किया गया था

उद्देश्यों के लिए राज्य सरकार के समक्ष आयोग

2008 की रिक्तियों की तुलना में नियुक्ति।

इस प्रकार, प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाता जिन्होंने केवल

उनके संबंधित विभागीय द्वारा अनुशंसित किया गया है अधिकारियों को पात्र नहीं माना जा सकता था 'के लिए

पदोन्नति या चयन के माध्यम से नियुक्ति पूर्ववर्ती ओएएस वर्ग II विनियम, 1978, इन कदमों के बाद से

नीचे उल्लिखित विनियमों में निर्धारित नहीं किया गया था

पुराने ओ. ए. एस. वर्ग II नियमों के निरसन से पहले पूरा किया गया,

1978 और ओएएस वर्ग II विनियम, 1978:

विनियम 7-उपयुक्त उम्मीदवारों की सूची तैयार करना। चयन बोर्ड द्वारा;

विनियम 8-उड़ीसा की जनता के साथ परामर्श

सेवा आयोग;

विनियम 9-उड़ीसा की जनता की सिफारिश

सेवा आयोग; और,

विनियम 10-अंतिम सूची तैयार करना और उसे प्रस्तुत करना।

नियुक्ति के लिए राज्य सरकार के समक्ष।

पूर्ववर्ती न्यायालय की रिपोर्ट

इस प्रकार, चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं ने ओ. ए. एस. में चयन या पदोन्नति का अर्जित या निहित अधिकार प्राप्त नहीं किया था।

ओ. ए. एस. वर्ग II नियम, 1978 और ओ. ए. एस. वर्ग II विनियम, 1978 के अनुसार वर्ग II पद, क्योंकि उनके नामों पर चयन या पदोन्नति के लिए कभी विचार नहीं किया गया था।

विनियमन 6 के तहत विचार किए गए चरण से परे।

उत्तरदाताओं के वकील द्वारा वाई. वी. पर रिलायंस रखा गया।

रंगैया और ओआरएस। वी. जे. श्रीनिवास राव और Ors.5 क्रम में यह प्रस्तुत करना कि पुराने नियमों के तहत उत्पन्न रिक्तियों को पुराने नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, कोई लाभ नहीं है।

इसी तरह की दलील को इस अदालत ने खारिज कर दिया था।

दीपक अग्रवाल और एक अन्य वी। उत्तर प्रदेश राज्य और

Ors.6। निर्णय के प्रासंगिक अंश को पुनः प्रस्तुत किया गया है नीचे दिया गया हैः

वाई. वी. रंगैया मामले [(1983) 3 एस. सी. सी. 284: 1983 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 382] इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होगा। उपरोक्त निर्णय पर दिया गया था आंध्र प्रदेश पंजीकरण और अधीनस्थ सेवा नियम, 1976 के नियम 4 (ए) (1) (आई) की व्याख्या। द.

उपरोक्त नियम में हर साल सितंबर महीने में योग्य उम्मीदवारों के लिए एक पैनल तैयार करने का प्रावधान किया गया है। यह राज्य पर डाला गया एक वैधानिक कर्तव्य था। अभ्यास प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाना आवश्यक था। इसके बाद, केवल पदोन्नति आदेश जारी किए जाने थे। हालांकि, वर्ष 1976 के लिए कोई पैनल तैयार नहीं किया गया था। इसके बाद, नियम में संशोधन किया गया, जिसने याचिकाकर्ताओं को पदोन्नति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। इनमें

परिस्थितियों में, इस न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया था कि संशोधन उन रिक्तियों पर लागू नहीं होगा जो संशोधन से पहले उत्पन्न हुई थीं। संशोधित नियमों से पहले होने वाली रिक्तियों को नियंत्रित किया जाएगा -

पुराने नियम और संशोधित नियम नहीं।

25. वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थियों पर कोई वैधानिक कर्तव्य नहीं है कि वे वर्षवार पैनल तैयार करें।

सी 284। सीसी 725।

एफ. ओरिसा और ए. एन. आर. वी. धीरेंद्र सुंदर दास और ओआरएस। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

योग्य उम्मीदवार या पदोन्नति के लिए चयनित उम्मीदवार। वास्तव में, नियम 2 का प्रावधान राज्य को किसी भी पद को खाली रखने में सक्षम बनाता है। इसलिए, स्पष्ट रूप से कोई नहीं है

वैधानिक कर्तव्य जो राज्य को करने के लिए अनिवार्य किया जा सकता है

लागू नियमों के तहत। एक वर्ष में रिक्तियों की पहचान करने या नियम 7 के तहत कितने पदों को भरा जाना है, इस बारे में निर्णय लेने की आवश्यकता को पदोन्नति के लिए विधिवत चयनित उम्मीदवारों को पदोन्नति आदेश जारी नहीं करने के बराबर नहीं माना जा सकता है। हमारी राय में, अपीलकर्ताओं ने पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं किया था। अतः यह

डॉ. राजीव धवन की दलीलों को स्वीकार करना मुश्किल

कि 17-5-1999 से पहले उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को अपरिवर्तित नियमों के तहत भरा जाना था।

(जोर दिया गया)

वर्तमान मामले में प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं की सिफारिश केवल संबंधित विभागीय द्वारा की गई थी।

विनियम 6 के तहत प्राधिकरण। भर्ती प्रक्रिया थी

इसके बाद आगे नहीं बढ़े। पूर्ववर्ती ओएएस वर्ग-II नियम, 1978 या ओएएस वर्ग-II विनियम, 1978 के तहत भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। इस बीच, राज्य ने उड़ीसा प्रशासनिक सेवा संवर्ग का पुनर्गठन किया और 28.02.2009 और 25.05.2009 के प्रस्तावों के माध्यम से उड़ीसा राजस्व सेवा का गठन किया।

पुनर्गठन अभ्यास के एक भाग के रूप में, पूर्ववर्ती

ओएएस वर्ग-II पदों को समाप्त कर दिया गया और नवगठित उड़ीसा राजस्व सेवा में समूह 'बी' पदों का एक नया संवर्ग बनाया गया।

चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं ने ओ. ए. एस. वर्ग-II पदों के उन्मूलन या संबंधित उड़ीसा राजस्व सेवा समूह 'बी' पदों के निर्माण को चुनौती नहीं दी है। इसके विपरीत, उनमें से कुछ ने नवनिर्मित उड़ीसा राजस्व सेवा समूह 'बी' संवर्ग में भर्ती के लिए 30.04.2013 पर बुलाई गई डी. पी. सी. की कार्यवाही में भाग लिया है।

अग्रिम न्यायालय की रिपोर्ट

विचार किए जाने के बाद, चुनाव लड़ने वाले 6 उत्तरदाता

इन्हें चुना गया, जबकि 1 को प्रतीक्षा सूची में रखा गया।

राज्य ने उक्त उत्तरदाताओं को उड़ीसा राजस्व सेवा समूह 'बी' पदों पर नियुक्त किया। हालांकि, नियुक्त किए गए पांच चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं में से केवल दो ही पदों पर शामिल हुए।

उड़ीसा राजस्व सेवा समूह 'बी' पदों से लेकर उड़ीसा प्रशासनिक सेवा समूह ए (कनिष्ठ शाखा) पदों पर काम करने वाले कर्मचारी। 1 चुनाव लड़ने वाले प्रतिवादी को ओ. ए. एस. समूह ए (कनिष्ठ शाखा) संवर्ग में पदोन्नत किया गया था।

चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाता समाप्त किए गए ओ. ए. एस. वर्ग-II पदों पर किसी भी ग्रहणाधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं।

पुराने ओ. ए. एस. वर्ग II नियम, 1978 और ओ. ए. एस. वर्ग II विनियम, 1978।

इस संदर्भ में, राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम में इस न्यायालय के दो निर्णयों पर भरोसा किया जा सकता है।

'चनन राम' और यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस। वी. कृष्ण कुमार & Ors.8। राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम। चानन राम 'इस न्यायालय ने मौजूदा नियमों में संशोधन के बाद उन पदों में रिक्तियों को भरने के दावे को खारिज कर दिया जो अब मौजूद नहीं हैं।

निर्णय के प्रासंगिक अंश को तैयार संदर्भ के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" 14. ..... एक बार यह माना जाता है कि पुरानी रिक्तियां पदों में थीं जो अप्रैल 1995 के बाद अस्तित्व में नहीं रहा, इस पर विचार करने का कोई अवसर नहीं बचा कि क्या इन पुरानी रिक्तियों को उन्हीं पदों पर भर्ती के पहले के नियमों को लागू करके भरा जा सकता है। अप्रैल के बाद ऐसे कोई पद नहीं थे।

सीसी 202। ए. एल. ई. 691 सी 202।

एफ. ओरिसा और ए. एन. आर. वी. धीरेंद्र सुंदर दास और ओआरएस। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

1995 राजस्थान कृषि विपणन के संवर्गों में

सेवा जैसा कि पहले देखा गया था।

15. ..... इसके विपरीत तीन-न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय

जय सिंह दलाल बनाम के मामले में यह न्यायालय। की स्थिति

हरियाणा [1993 अनुपूरक (2) एस. सी. सी. 600: 1993 एससीसी (एल एंड एस) 846

: (1993) 24 ए. टी. सी. 788] स्पष्ट रूप से आकर्षित होगा

वर्तमान मामले के तथ्य। ए. एम. अहमदी जे., बोल रहे हैं

रिपोर्ट के पैरा 7 में तीन न्यायाधीशों की पीठ

राज्य के मामले में इस न्यायालय का एक पूर्व निर्णय

हरियाणा बनाम. सुभाष चंदर मारवाह [(1974) 3 एससीसी

220 : 1973 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 488] ने निर्धारित किया कि जब विशेष भर्ती की प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया गया था और यह पूरी हो गई थी

चयन सूची में उम्मीदवार को कोई अधिकार नहीं था नियुक्ति। इस संबंध में यह देखा गया कि

सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया को रोका जा सकता है

उम्मीदवार को प्रक्रिया पूरी करने का कोई निहित अधिकार नहीं है और अधिक से अधिक सरकार को उचित ठहराने की आवश्यकता हो सकती है

इसकी कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर आधारित है।

(जोर दिया गया)

भारत संघ और अन्य में। वी. कृष्ण कुमार & Ors.[1]0

क्या न्यायालय संवर्ग संरचना की इसी तरह की स्थिति से निपट रहा था।

निर्णय के प्रासंगिक उद्धरण को पुनः प्रस्तुत किया गया है

तैयार संदर्भ के लिए नीचे दबाएँः

" 14. कानून के इस कथन को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि एक बार असम राइफल्स की संरचना में बदलाव आया

मध्यवर्ती के निर्माण के बाद

वारंट अधिकारी का पद, धारण करने वाले व्यक्ति

पदोन्नति के लिए हवलदार के पद पर विचार किया जाएगा

वारंट अधिकारी का पद। मध्यवर्ती

वारंट अधिकारी का पद इसके परिणामस्वरूप बनाया गया था

पुनर्गठन अभ्यास। उच्च न्यायालय, हमारे विचार में था,

उन रिक्तियों को अभिनिर्धारित करने में त्रुटि जो पहले उत्पन्न हुई थीं

भर्ती नियमों के संशोधन के लिए

कॉल 691 करें।

पूर्ववर्ती न्यायालय की रिपोर्ट

अनिवार्य रूप से उन नियमों द्वारा शासित किया जाना चाहिए जो मौजूद थे

पहले उल्लिखित निर्णय किए गए मामले इंगित करते हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है निरपेक्ष या सार्वभौमिक अनुप्रयोग का नियम। पूरा मामला

उच्च न्यायालय के निर्णय का आधार यह था कि वे

जिन्हें पुनर्गठन अभ्यास से पहले भर्ती किया गया था

और हवलदारों के पद पर आसीन थे

नियमों के साथ जैसा कि वे मौजूद हैं जब अभ्यास किया जाता है पदोन्नति के लिए बाहर "।

(जोर दिया गया)

प्रतिवाद करने वाले उत्तरदाताओं का निवेदन कि उनका मामला

मार्ग द्वारा नियुक्त उम्मीदवारों के बराबर माना जाए

रिक्तियों के विरुद्ध चयन और पदोन्नति

वर्ष 2001 से 2005 तक मान्य नहीं है।

रिक्तियों के विरुद्ध व्यक्तियों की नियुक्तियाँ

वर्ष 2001 से 2005 के लिए दो अधिसूचनाएं जारी की गईं।

दिनांक 7 दिसंबर, 2010, जो इससे पहले जारी किए गए थे

पुराने ओएएस वर्ग II नियम, 1978 और ओएएस को निरस्त करना। द्वितीय श्रेणी विनियम, 1978।

आखिरकार, उच्च न्यायालय ने मुक्ति मामले में फैसले पर भरोसा किया था

(ग) नहीं। 19827/2009; इसे धारण करने के लिए 16.04.2012] पर निर्णय लिया निरस्त ओ. ए. एस. वर्ग II के तहत पदोन्नति दी जा सकती है।

इस फैसले के खिलाफ एस. एल. पी. को केवल खारिज कर दिया गया था। द. प्रतिद्वंद्वी उत्तरदाताओं के वकील ने बर्खास्तगी के लिए प्रार्थना की

वर्तमान सिविल अपीलों में यह प्रस्तुत करते हुए कि उक्त

इस न्यायालय द्वारा दिनांकित आदेश के माध्यम से निर्णय की पुष्टि की गई थी

28.09.2012 .

यह कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है जो एक

उच्चतम न्यायालय सहित इस न्यायालय के निर्णयों की सूची कर्मचारी कल्याण संघ बनाम। भारत संघ और

एलआर 61।

स्टेट ऑफ ओरीसा एंड ए. एन. आर. वी. धीरेंद्र सुंदर दास और ओआरएस। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

एन. आर. 1 2 और पंजाब राज्य बनाम। देविंदर पाल सिंह भुल्लर 1 3, कि एस. एल. पी. की बर्खास्तगी का सीधा सा तात्पर्य है कि इस न्यायालय के समक्ष मामले को किसी कारण से जांच के योग्य नहीं माना गया था, जो मामले के गुण-दोष से अलग हो सकता है। बिना कोई विस्तृत कारण बताए सीमा पर ऐसी सीमित बर्खास्तगी, किसी भी कानून की घोषणा या इसके तहत एक बाध्यकारी मिसाल का गठन नहीं करती है।

संविधान का अनुच्छेद 141।

8. उपरोक्त आधारों पर, हम मानते हैं कि डिवीजन बेंच का निर्णय रद्द करने के लिए उत्तरदायी है क्योंकि प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाता

ओ. ए. एस. वर्ग II पदों पर पदोन्नति का निहित या फलदायी अधिकार नहीं था जो भर्ती वर्ष 2008 के दौरान उत्पन्न हुआ था। चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं के नामों की सिफारिश केवल विचार के लिए की गई थी। इस बीच, 2009 में राज्य ने संवर्ग का पुनर्गठन किया और ओएएस वर्ग II संवर्ग को समाप्त कर दिया। पुनर्गठित संवर्ग अर्थात। उड़ीसा राजस्व सेवा समूह 'बी' संवर्ग इसके स्थान पर आया। इसलिए, प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं को नियुक्त करने के लिए खंड पीठ का निर्देश निरस्त किए गए 1978 के नियमों के अनुसार, समाप्त किए गए संवर्ग में जो रिक्तियां थीं, वे कानून के विपरीत थीं और उन्हें अलग किया जा सकता था।

उपरोक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान दीवानी अपीलें हैं -

अनुमति दी गई। सामान्य विवादित निर्णय और आदेश दिनांक 30.04.2018 उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू. पी. में पारित। (ग) संख्या। 14831 2013 का, 2012 का 18749,2013 का 6720,2017 का 25961 और 2016 का 9200 के साथ-साथ ओडिशा उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू. पी. में पारित किए गए विवादित आदेश। (ग) संख्या। 7383 और 14665/2018 को अलग रखा जाता है।

लंबित अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हो, निर्णय के संदर्भ में निपटाए जाते हैं।

तदनुसार आदेश दिया।

अपीलों की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे

12 (1989) 1 एस. सी. सी. 187 (पैरा 22 और 23)। 13 (2011) 14 एस. सी. सी. 770 (पैरा 112 और 113)।